

राजस्थान -सरकार

निदेशालय चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण सेवाये,राजस्थान जयपुर।  
क्रमांक:- ई-11/नर्सिंग/नर्स-2/जी-864 /18/ दिनांक:-

आदेश

मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, श्रीगंगानगर के अधीन कार्यरत निम्न नर्स-2 (परिवीक्षाधीन) का स्वयं की बीमारी के कारण उनके नाम के सम्मुख अंकितानुसार निम्न प्रकार असाधारण अवकाश स्वीकृत किया जाता है:-

क्र०स०	नाम कार्मिक	अवधि
1	रामकिशन	दिनांक:25.08.17 से 29.08.17 तक 05 दिवस
2	प्रेमकुमार	दिनांक:03.03.16 से 16.03.16 तक 14 दिवस दिनांक:25.08.17 से 29.08.17 तक 05 दिवस कुल 19 दिवस
3	सुनील कुमार लकेशर	दिनांक:25.8.17 से 10.9.17 तक 17 दिवस

अतःवित्त विभाग के आदेश संख्या F.1(2)FD(Rules)/06/Part-I दिनांक 11.06.2014 के अनुसरण में एक माह से अधिक अवधि के उपरान्त उपभोग किये गये असाधारण अवकाश की सीमा तक परीविक्षा काल में अभिवृद्धि की जावेगी।

Sd/-  
(राकेश शर्मा)

अतिरिक्त निदेशक (प्रशासन)  
चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाएँ  
राज० जयपुर

क्रमांक:- ई-11/नर्सिंग/नर्स-2/जी-864 /18/39

दिनांक:- 15/01/19

प्रतिलिपि सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-

1. मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, श्रीगंगानगर ।
2. संबंधित कर्मचारी द्वारा उनके प्रशासनिक अधिकारी ।
- ✓ 3. प्रभारी सर्वर रूम को भेजकर लेख है कि उक्त पत्र को विभागीय बेबसाईट पर अपलोड करें।
4. आदेश/रक्षित पत्रावली ।

Sd/-  
(राकेश शर्मा)

अतिरिक्त निदेशक (प्रशासन)  
चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाएँ  
राज० जयपुर